

# पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश [ 9/8/2021]

प्रश्न सं. [क. 152]

//आदेश//

क्रमांक/पंचा.राज./आर-2/57/निर्माण 2018-19/ 7405

भोपाल दिनांक 0/05/2018

मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के अंतर्गत जिला बालाघाट में सरोवर निर्माण (सिचाई/निस्तार) के लिये निम्नानुसार कुल राशि रूपये 604.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य की तकनीकी स्वीकृति का विवरण	
				क्र./दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6
1	परसवाड़ा	सहेजना	सहेजना	18.5.18/651	91.06
2	बिरसा	बिजाटोला	बखारीकोना	18.5.18/650	125.28
3	कटंगी	बिछुआ	बिछुआ	18.5.18/646	96.12
4	लालबरी	निलजी	निलजी	18.5.18/647	137.86
5	किरनापुर	गोदरी	गोदरी	18.5.18/649	153.99
				<b>योग</b>	<b>604.31</b>

शर्तें :-

- कार्य की निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होगी।
- निर्माण कार्य नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अनुसार किये जावेगे।
- निर्माण कार्य की गुणवत्ता अधीक्षण यंत्री द्वारा सुनिश्चित की जावे।
- निर्माण कार्य में योजना के मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
- निर्माण कार्य की प्रथम किशत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को पंचायत राज संचालनालय की योजना क्रमांक 4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद से देय होगी। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 60 प्रतिशत कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत करने पर संचालनालय द्वारा द्वितीय किशत की राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जारी की जा सकेगी।
- निर्माण कार्य में शासन के निर्देशों का पालन किया जावे।
- निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण करना होगा।

  
(शमीम उद्दीन)

संचालक

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

पृ.क्रमांक/पंचा.राज./आर-2-57/निर्माण 2018-19/ 7406

भोपाल दिनांक 0/05/2018

प्रतिलिपी,


- संभागीय आयुक्त, जबलपुर संभाग की ओर सूचनार्थ।

  
Shami

- 2- कलेक्टर जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर कार्य की मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट की ओर पालनार्थ।
- 5- संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत निर्माण कार्य की प्रथम किश्त की राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से मांग प्राप्त होने पर संचालनालय की योजना क्रमांक 4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जारी किया जाये।
- 6- संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला बालाघाट की ओर पालनार्थ।
- 7- वि.क.अधिकारी मान. मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परसवाडा, बिरसा, कटंगी, लालबरी एवं किरनापुर जिला बालाघाट की ओर पालनार्थ।
- 9- मैनेजर वेबसाईट पंचायिका।

  
संचालक

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

  
24/01/2018

(संयुक्त संचालक)

कलासिंह

म.प्र. संचालनालय, भोपाल

81/25/2018-अतिरिक्त स्टाम्प

30/01/2018-31/01/2018

पंचायत

पंचायत राज संचालनालय, भोपाल